फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/133) **श्री माधुलाल सेठिया बनाम तहसीलदार रेलमगरा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री मंजूर खान - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्री माधुलाल पिता श्री कजोडीमल सेठिया, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 21.12.2021, प्रकरण संख्या 22/2021, बउनवानी श्री माधुलाल बनाम तहसीलदार रेलमगरा** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 27.05.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 21.12.2021, प्रकरण संख्या 22/2021, बउनवानी श्री माधुलाल बनाम तहसीलदार रेलमगरा, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद समक्ष पटवारी हल्का रेलमगरा द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि अपीलार्थी श्री माधुलाल सेठिया पुत्र श्री कजोडीमल सेठिया, निवासी रेलमगरा द्वारा द्वारा ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 2226/1 रकबा 60-19-10 में से 1-05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चारागाह पर थोहर बाड कर उस भूमि पर तिल, चरी और जवार की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 15.09.2020 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने एवं शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया। • तहसीलदार रेलमगरा के निर्णय दिनांक 15.09.2020 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 21.12.2021 पारित किया। न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 21.12.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 24.05.2024 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/133) **श्री माधुलाल सेठिया बनाम तहसीलदार रेलमगरा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे रूटीन रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया और अपीलार्थी को बिना सुनवाइ का अवसर दिये बगैर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया, जिस अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर द्वारा यथावत रखते हुए विधि त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी सम्वत् 2077 रेलमगरा खसरा नम्बर 2226 व 2213 को मिलाकर कुलिया 3.00 बीघा भूमि अर्से कदीम से नियमित रूप से काबिज होकर उक्त भूमि को थोहर व कांटो से मेहफुज कर कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रथम सुनवाई पर टाईपशुदा फार्म पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जिसमें बेदखली के आधार का कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की भौतिक व वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना, साक्ष्य को अभिलेख पर लिये बिना अविधिक आदेश पारित किया है। खसरा नम्बर 2226 पूर्व में बिलानाम दर्ज थी, जिसे जिला कलक्टर राजसमंद के आदेश क्रमांक प.12/3(क)(23)राजस्व/2012/105-10 दिनांक 03.01.2013 से पूर्व बिलानाम भूमि में से चारागाह भूमि दर्ज किया गया है। उक्त आदेश से पूर्व अर्से कदीम से अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त करता रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसी बिलानाम जमीन के कब्जाधारक को सूचित किये बिना उक्त आदेश जारी किया जाना नैसर्गिक न्याय के विपरित है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में तहसीलदार को उक्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था। साथ तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा न्यायालय आप समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.05.2004 में अपीलार्थी के 2005 से कब्जा होने का उल्लेख किया है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत अनाधिवासित राजकीय भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही उक्त आवेदन के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को अपास्त करने का अनुरोध किया। **प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर केवल अतिक्रमी के बेदखली के प्रावधान है। **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद समक्ष पटवारी हल्का रेलमगरा द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि अपीलार्थी श्री माधुलाल सेठिया पुत्र श्री कजोडीमल सेठिया, निवासी रेलमगरा द्वारा द्वारा ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 2226/1 रकबा 60-19-10 में से 1-05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चारागाह पर थोहर बाड कर उस भूमि पर तिल, चरी और जवार की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/133) **श्री माधुलाल सेठिया बनाम तहसीलदार रेलमगरा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 15.09.2020 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने एवं शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2021 से निरस्त किया गया। उक्त निर्णयों से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उजरात के संबंध में वस्तुस्थिति में पारदर्शिता हेतु संबंधित तहसीलदार, रेलमगरा से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13.05.2004 प्रस्तुत की कि-

1. ''विवादित भूमि आराजी नम्बर 4362/226 रकबा 9.8703 हैक्टेयर किस्म चारागाह एवं आराजी नम्बर 2213 विभिन्न विभागों/संस्था को आवंटित होने से नये आराजी नम्बर 5100/5044 रकबा 0.0712 हैक्टेयर किस्म उसर दर्ज है। जो बिलानाम भूमि है। नक्शा ट्रेस में चारागाह व बिलानाम भूमि को अलग अलग रंगो से दर्शाया गया है।
2. विवादित भूमि आराजी नम्बर 2226 रकबा 65-12 बीघा किस्म चारागाह में से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद के आदेश प. 12/3(क)(23)राजस्व/2012/105-10 दिनांक 03.01.2013 से आराजी नम्बर 2226 रकबा 65-12 बीघा में से 60-19-10 बीघा बिलानाम से चारागाह दर्ज करने के आदेश हुए जिसके नए नम्बर 4362/2226रकबा 9.8703 हैक्टेयर किस्म चारागाह राजस्व रेकार्ड में ग्राम रेलमगरा में दर्ज है। इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है।
3. माधुलाल सेठिया संवत् 2062 या वर्ष 2005 से है। पी 14 की प्रति संलग्न है। माधुलाल सेठिया के नाम से ग्राम रेलमगरा आराजी नम्बर 3359/1297 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।
4. उक्त कब्जाशुदा भूमि पर वर्तमान में कांटो की बाड़ लगा रखी हैं। जिसको लाल रंग से अलग से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है, जिसमें आराजी नम्बर 4362/2226 किस्म चारागाह रकबा लगभग 0.3762 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5173/5100 किस्म उसर बिलानाम रकबा 0.0712 हैक्टेयर में से 0.0368 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है। उक्त कब्जाशुदा भूमि मौके पर कोई फसल नहीं होकर पड़त पड़ी हुई है।''

तहसीलदार के रिपोर्ट से यह भी जाहिर आया है कि उक्त आराजी चारागाह के रूप में उपयोग में ली जाती है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/133) **श्री माधुलाल सेठिया बनाम तहसीलदार रेलमगरा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

उक्त रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि चारागाह दर्ज किये जाने के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील/प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, ऐसे में अपीलार्थी का धारा-91 एलआर एक्ट की कार्यवाही उक्त आदेशों पर उज्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार्य नहीं है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा तहसीलदार के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 एवं तहसीलदार, रेलमगरा का निर्णय दिनांक 15.09.2020 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर